एम.ए.सी.पी. संख्या १०९/२०१७,
१. श्रीमती कुसुमा यादव उम्र ४३ वर्ष पत्नी स्व. श्री महादेव प्रसाद
२. कुमारी मालती उम्र २० वर्ष पुत्री स्व. श्री महादेव प्रसाद
३. कु. सविता उम्र १८ वर्ष पुत्री स्व. श्री महादेव प्रसाद
४. रामेश्वर उम्र १७ वर्ष पुत्र स्व. महादेव प्रसाद
समस्त निवासीगण ग्राम कोलवा थाना बरूआसागर जिला झाँसी

----याचीगण

प्रति

१. राज कुमार पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम टोड़ी थाना मोंठ जिला झाँसी
........चालक मोटर साईकिल सं. यू.पी. ९३ ए यू ८६२५
२. इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री लाखन सिंह निवासी ग्राम टोड़ी थाना मोंठ जिला झाँसी
........मालिक मोटर साईकिल सं. यू.पी. ९३ ए यू ८६२५
३. आई.सी.आई.सी.आई. लोमवार्ड जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लि. पॉलिसी नं. ३००५/ए१-१०३२६३९७/००/००० वैधता २७.०६.२०१६ से २६.०६.२०१६ तक
........बीमा कम्पनी मोटर साईकिल सं. यू.पी. ९३ ए यू ८६२५

----विपक्षीगण

याचीगण के अधिवक्ता- श्री प्रमोद कुमार शिवहरे
विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी के अधिवक्ता- श्री सुनील शुक्ला
<u>**१५.०३.२०२१**</u>

पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली आज २२बी सुलहनामा पर आदेश हेतु नियत है। प्रस्तुत याचिका याचीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध कथित मोटर वाहन दुर्घटना में मृतक महादेव प्रसाद की मृत्यु के कारण **₹५०,००,०००** प्रतिकर धनराशि मय ब्याज दिलाए जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को २२बी सुलहनामा पर पूर्व नियत तिथि पर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। याचीगण व विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी के मध्य हुआ सुलहनामा २२बी उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपस्थिति में तस्दीक किया गया है, जिसकी पुष्टि उभय पक्ष द्वारा की गई है। २२बी सुलहनामा के अनुसार विपक्षी सं.३ बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के रूप में **₹७,३०,०००** याचीगण को सम्पूर्ण सन्तुष्टि पर अदा करेगी। याचीगण सुलहनामा २बी में दर्शित कुल **₹७,३०,०००** प्रतिकर के रूप में लेने हेतु सहमत है, जिसे विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी याचीगण को देने हेतु तैयार है। अतः याचिका सुलहनामा २२बी के अनुसार पूर्ण सन्तुष्टि में निर्णीत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

याचीगण की याचिका सुलहनामा २२बी के अनुसार निर्णीत की जाती है। सुलहनामा २२बी इस आदेश का भाग रहेगा। विपक्षी सं.३ आई.सी.आई.सी.आई. लोमबार्ड जनरल इंश्यारेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को इस निर्णय/आदेश के दिनाँक से ३० दिन के अन्दर प्रतिकर की धनराशि **₹७,३०,००० (सात लाख तीस हजार)** भुगतान करने हेतु मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी के खाता सं. ३६७१०००१०११९२४८९ आई.एफ.एस.सी. कोड सं. PUNB ०३६७१०० में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे। धनराशि अन्तरण में याचिका संख्या, नाम बनाम का उल्लेख किया जाएगा तथा यू.टी.आर. नम्बर/रिफरेंस नंम्बर/ट्रांजैक्शन नम्बर की सूचना इस न्यायाधिकरण के कार्यालय भेजी जावेगी।

याचीगण सं.१ लगायत ४ श्रीमती कुसुमा, कुमारी मालती, कु. सविता एवं रामेश्वर क्रमशः मृतक की पत्नी, पुत्री व पुत्र हैं। याची सं.४ रामेश्वर वर्तमान में वयस्क हो चुका है। अतः याचीगण सं.१ लगायत ४ उक्त प्रतिकर की धनराशि में से क्रमशः ४०, २०, २० व २० प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। प्रत्येक याचीगण को प्राप्त होने वाली प्रतिकर की धनराशि में से ७५% भाग की ५-५ वर्ष के लिए उनके नाम एन्युटी बनाई जाएगी तथा प्रत्येक याची को प्राप्त होने वाली अवशेष २५-२५ प्रतिशत धनराशि याचीगण अपने बैंक खाते में आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से नगद प्राप्त करेंगे।

तदनुसार एवार्ड तैयार हो। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण,
झाँसी।

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.03.15 18:02:13 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal
Jhansi